

RHB & Co

कार्यालय आवासीय अभियन्ता,

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम जोधपुर



सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

क्रमांक : 736

दिनांक : 18.7.2016

निविदा सूचना संख्या 01/2016-17

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीलक्ष्मण निविदाएं मण्डल में नये नियमानुसार पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 22.08.2016 से 30.08.2016 तक बेची जाकर दिनांक 30.08.2016 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सायं 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जाएगी। मण्डल में स्वीकृत ठेकेदारों से धरोहर राशि (अनुमानित लागत राशि का आधा प्रतिशत) का पे-ऑर्डर आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर के पक्ष में देय होगा तथा निविदा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति बिक्रीकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति तथा पे-ऑर्डर देने के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे।

| क्र. सं. | कार्य का विवरण   | अनुमानित लागत (लाखों में) | धरोहर राशि (लाखों में) | निविदा शुल्क | कार्य की अवधि |
|----------|--|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1.       | चौपासनी आवासीय योजना सामुदायिक भवन सेक्टर न.17 ई एवं 14 में रख-रखाव का कार्य | 4.50                      | 0.09                   | 500/-        | 12 माह        |
| 2.       | सम्राट अशोक उद्यान के इवेन्ट गार्डन व गेस्ट हाऊस के रख-रखाव का कार्य         | 9.00                      | 0.18                   | 500/-        | 12 माह        |

शर्तें :-

1. तार द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा शुल्क मनीऑर्डर द्वारा भेजा गया मान्य नहीं होगा।
3. निविदा की अन्य शर्तें प्रपत्र में अंकित हैं।
4. पी.एफ. के बदले पांच प्रतिशत राशि बिल में रोक ली जायेगी।
5. निविदा की नियम व शर्तें मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) व वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

आवासीय अभियन्ता,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
खण्ड प्रथम, जोधपुर

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त द्वितीय, जोधपुर
3. नोटिस बोर्ड
4. ठेकेदार संघ
5. रक्षित पत्रावली।

आवासीय अभियन्ता,